तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विजय कुमार v/s राज. सरकार 147/प्रा०पत्र/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/7/24	पत्रावली पेश। जॉच रिपोर्ट प्राप्त है, जो शामिल मिसल की गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर आया है कि प्रार्थीगण द्वारा खाता संख्या 132 व 133 , 77 में दर्ज फुमा पुत्र छगना के नाम को दुरूस्त करवाकर गोगा पुत्र छगना दर्ज करवाना चाहते हैं। उक्त फुमा नाम जमाबंदी में किस प्रकार दर्ज हुआ। इस बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किए गए है। एवं साथ ही जमाबंदी में दर्ज अन्य सहखातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है न ही उक्त दुरूस्ती बाबत पक्षकारान की कोई सहमति पत्रावली में प्रस्तुत की गई है। बिना आवश्यक पक्षकारों को सुना जाकर प्रकरण में निर्णय पारित किए जाने से अनावश्यक वाद बाहुलता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित नहीं किए जाने से पक्षकारों का कुसंयोजन हुआ है। उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार ग्रोग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण में पक्षकारों का कुसंयोजन होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	